इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2014—फाल्गुन 7, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. एफ-7-35-2013-उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) की धारा 9 के खण्ड 'ब' के अन्तर्गत गठित मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य खाद्य आयोग घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. एफ-7-35-2013-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 26th February 2014

No. F-7-35-2013-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under Section 18 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the State Government, hereby designates the Madhya Pradesh State Consumer Despute Redressal Commission established udner clause (b) of Section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) to exercise the powers and to perform the functions of the State Food Commission referred to in Section 16 of the National Food Security Act, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.